

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—पखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1972/चैत्र 11, 1894

No. 102]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1972/CHAITRA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March 1972

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rule 3 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of Section 4 of the said Act, upto the end of March, 1973 with effect from 1st April, 1972: and nominates Shri G. Ramachandran and Shri Som Dutt Vedalankar as Chairman and Secretary thereof respectively, namely:—

- (1) Shri G. Ramachandran—*Chairman*.
- (2) Shri Som Dutt Vedalankar—*Secretary*.
- (3) Shri Bhola Nath Manda—*Member*.

[No. F. 6(2)/72-KVI(I.)]

T. R. KAPUR, Accounts Officer.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अविसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1972

जी० एस० आर० 230 (अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956- (1956 का 81) की धारा 4 की उपधारा (2) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते-

(563)

हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 अप्रैल, 1972 से मार्च 1973 के अन्त तक के लिये सदस्य नियुक्त करती है तथा श्री जी० रामचन्द्रन एवं श्री सोम दत्त वेदालंकार को क्रमशः उसका अध्यक्ष और सचिव नियुक्त करती है, नामतः—

- (1) श्री जी० रामचन्द्रन—अध्यक्ष ।
- (2) श्री सोम दत्त वेदालंकार—सचिव ।
- (3) श्री शोला नाथ खंडल—सदस्य ।

[सं० फा० 6(2)/72-के०बी०आई०(i)]

टी० आर० कपूर, लेखा अधिकारी ।